

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
आदेश

सरकारी राजस्व समाहरण में खान एवं भूतत्व विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है तथा अवैध खनन की दृष्टि से भी यह विभाग संवेदनशील है। एक ही जिला/कार्यालय में लंबी अवधि तक पदस्थापित रहने से कर्मियों के अवैधकर्त्ताओं/स्थानीय तंत्रों के साथ सांठ-गांठ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही कर्मियों के अवैध खननकर्त्ताओं/माफियाओं से सांठ-गांठ की शिकायत विभाग को लगातार प्राप्त होती रहती हैं।

अतएव खान एवं भूतत्व संवर्ग के खान निरीक्षक का स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु सेवावधि दो वर्ष निर्धारित किया जाता है।

2. इस पर माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

13/01/25
15/01/25
(भारत भूषण प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-01/स्था0-01/2023-283/एम0, पटना, दिनांक:-15/01/25

प्रतिलिपि:- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/01/25
15/01/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-01/स्था0-01/2023-283/एम0, पटना, दिनांक:-15/01/25

प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/01/25
15/01/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-01/स्था0-01/2023-283/एम0, पटना, दिनांक:-15/01/25

प्रतिलिपि:- सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/01/25
15/01/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-01/स्था0-01/2023-283/एम0, पटना, दिनांक:-15/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/01/25
15/01/25
सरकार के अपर सचिव

8/2 2/2